रांची में, मंगलवार दिनांक 09 जनवरी, 2017 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

जल संसाधन विभाग

1. जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) को वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत रु0 5.00 करोड़ (पांच करोड़) मात्र का अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

2. श्री रामकृष्ण मिशन टी०बी0 सेनेटोरियम, रांची के अधीन संचालित वाहनों के मार्ग कर में छूट प्रदान करन के प्रस्ताव पर स्वोकृति। **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

3. जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ अनुमान्य करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित समस्त दायित्व का भुगतान स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

5. राज्य योजना के तहत् कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को अनुदान की राशि के तहत् आवर्त्ती व्यय की राशि रुपया 55.00 करोड़ (पचपन करोड़) हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 261(b) को शिथिल करने की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

6. वित्तीय वष 2017–18 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणो की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

(कार्योपरान्त स्वीकृति)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

7. प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित योजनाओं की राशि के निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 261(b) के शिथिलीकरण करने की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

कल्याण विभाग

8. झारखण्ड राज्यान्तर्गत कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक छात्रावास योजना नियमावली–2017 के संबंध में। **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. देवघर नगर निगम में कुल रु0 40,14,34,500/– (चालीस करोड़ चौदह लाख चौतीस हजार पांच सौ) मात्र की लागत पर अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत रु0 14806.03 लाख की लागत पर स्वीकृत रांची शहरी जलापूर्ति परियोजना (फेज–1) पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. राज्य योजनान्तर्गत मधुपुर नगर परिषद् की रु0 60,97,39,000/– (साठ करोड़ सत्तानवे लाख उनचालीस हजार) मात्र की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मधुपुर शहरी जलापूर्त्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

12. खास महाल भूमि के लीज नवीकरण हेतु सलामी एवं लीज रेन्ट से संबंधित नीति निर्धारण के संबंध में। **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. रांची में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास बनाने एवं अन्य विकासात्मक कार्यों हेतु 306.86 एकड़ भूमि का मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि0, रांची से नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरण तथा उसके विरूद्ध मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि0, रांची के आधुनिकीकरण हेतु Revival Package के रूप में कुल रु0 75,30,00,000/– (पचहत्तर करोड़ तीस लाख) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

14. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–23(C)(1) एवं 23(C)(2) के प्रावधानों के तहत् Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 को अधिसूचित करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

ह0/–
(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

———

ज्ञापांक –_____/ रांची, दिनांक जनवरी, 2018 ई0।

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण
राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रांची
विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची
अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग
सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० जी० रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक –_____/ रांची, दिनांक जनवरी, 2018 ई0।

प्रतिलिपि– दिनांक 09 जनवरी, 2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही की प्रति सभी संबंधित विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में निश्चित रूप से 15 दिनों के अन्दर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करा दें।

(एस० के० जी० रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव

विभाग .....
माह/दिनांक..... में लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन –

क्रमांक	**बैठक की तिथि**	**मद सं0 एवं विषय**	**कार्यान्वयन की वर्त्तमान स्थिति**